



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1943 (श0)
(सं0 पटना 43) पटना, मंगलवार, 1 फरवरी 2022

सं० वि०(27) पे० को०(भ०नि०ब्याज)-20/2021-96(पें०)/वि०,
वित्त विभाग

संकल्प

31 जनवरी 2022

विषय :- बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 के चतुर्थ तिमाही दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-810/वि०, दिनांक 15.11.2021 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय तिमाही दिनांक 01.10.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू किया गया है ।

- (2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के संकल्प- F.No.-5(4)-B(PD)/2021, दिनांक 03.01.2022 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।
- (3) अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिये ब्याज दर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) लागू होगी ।

- (4) पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव(संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 43-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>